प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/186026/CHN/CHANDAULI/1302/CFO
दिनांक : 24-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **GYAN PRAVAH INTERNATIONAL SCHOOL** पता **117,DHARUPUR MARAUI SAIYADRAJA,CHANDAULI 232110** तहसील - **CHANDAULI** प्लाट एरिया **2871.75 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2805.06** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
हैड क्वार्टर	4	1	14.60 मीटर

अधिभोग मेसर्स **GYAN PRAVAH INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है, के द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAUSHAL PATI TRIPATHI MOB- 7398221174** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-02-2026** से **02-02-2031** तक **5** वर्षो के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **GYAN PRAVAH INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **GYAN PRAVAH INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा।
2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त भवन के केवल भूतल पर विद्यालय संचालन हेतु यह पत्र निर्गत किया जा रहा है उपरी तलो के उपभोग से पूर्व अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
Anand Singh Rajput
2518B5B062AB2EA8F865E22969E056F243FEC0C0
03-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **03-02-2026**
स्थान : **CHANDAULI**

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Scanned with OKEN Scanner